प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 25.05.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये गये आवश्यक निर्देश।

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की जा रही है।

जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 25.05.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की शिकायतों एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित किये/कराये जाने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावती प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

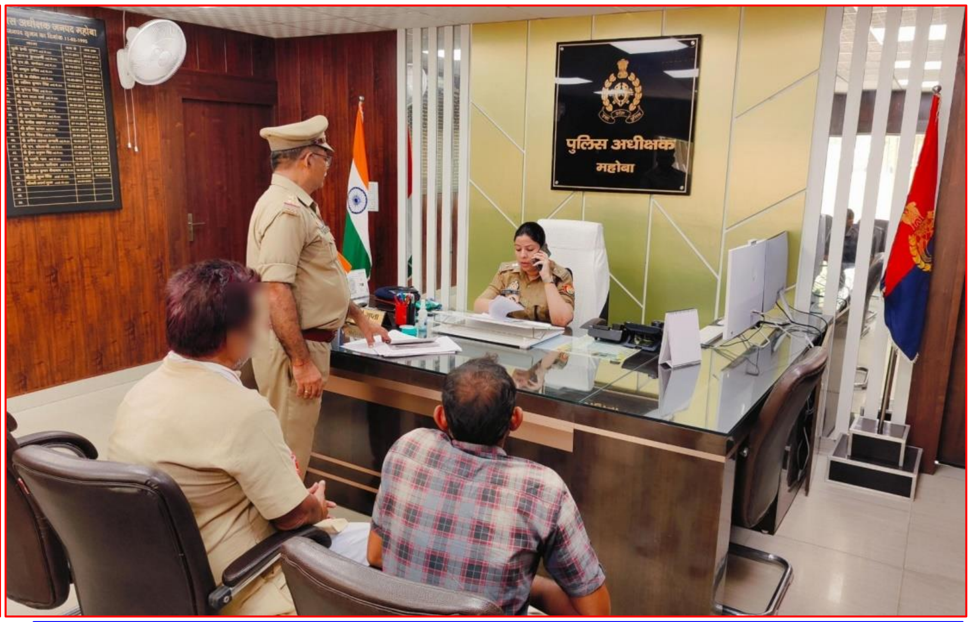

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 25.05.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, नारी स्वाबलंबन एवं नारी सम्मान हेतु विशेष अभियान चलाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को चौपाल/पुलिस की पाठशाला लगाकर जागरूक किया जा रहा है।

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद महोबा के थानों में नियुक्त एण्टीरोमियो/शक्ति दीदी टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के ग्रामों में भ्रमण कर जनचौपाल का आयोजन कर महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत आज दिनांक 25.05.2024 को शक्ति दीदी (महिला बीट तथा महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद के थानों पर आउटरीच प्रोग्राम चलाकर अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत आबादी क्षेत्र, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, मेलों एवं गांव में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया तथा

इस दौरान महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा,नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) अभियान के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और विभिन्न परिस्थियों पर उनके सहायतार्थ जारी हेल्प लाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090,1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग की विस्तृत जानकारी दी गई । साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त त्वरित कार्यवाही की जायेगी

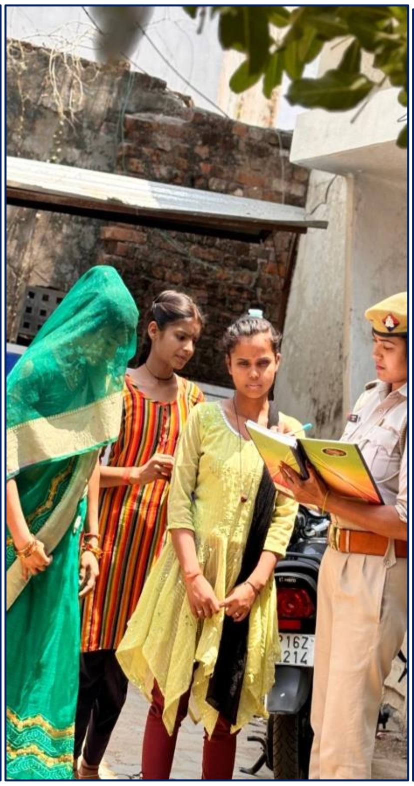

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 25.05.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध रुप से संचालित जुआ/सट्टा की प्रभावी रोकथाम हेतु ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 24.05.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री गणेश कुमार द्वारा उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया।

गठित हुई पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान ग्राम गोरखा मे नये तालाब के पास ताश के पत्तो से रुपयो की हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 05 नफर अभियुक्तगण क्रमशः (1)राजेन्द्र सिंह यादव पुत्र रामपाल यादव उम्र करीब 34 वर्ष (2) रामदीन लोधी पुत्र राधाचरण उम्र करीब 54 वर्ष (3) मुन्नाबाबू राजपूत पुत्र श्री प्रकाशचन्द्र राजपूत उम्र करीब 42 वर्ष (4) धीरज राजपूत पुत्र रामसिंह राजपूत उम्र करीब 35 वर्ष (5) प्रमोद यादव पुत्र रामगोपाल उम्र करीब 19 वर्ष को नियमानुसार हिरासत में लिया गया इस दौरान मौके पर मालफड 910 रु0 व 52 अदद ताश पत्ते व जामा तलाशी से 310 रुपये बरामद हुए।

पुलिस को आते देख जुखा खेल रहे 03 अभियुक्त गण चरन सिंह राजपूत व दीपू राजपूत पुत्र स्व0 अमर सिंह व रग्घू विश्वकर्मा पुत्र घूराम विश्वकर्मा निवासी गण ग्राम गोरखा थाना चरखारी जनपद महोबा भाग निकले। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना चरखारी में मु.अ.सं. 132/24 धारा 13 G ACT पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 सतेन्द्र सिंह 2.उ0नि0 मधुरेश कुमार त्रिपाठी 3.उ0नि0 सुभाषचन्द्र तिवारी 4.उ0नि0 राजकुमार यादव 5.उ0नि0 राजनारायण 6.उ0नि0 राधेश्याम सिंह

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों का विवरण:-

(1) राजेन्द्र सिंह यादव पुत्र रामपाल यादव उम्र करीब 34 वर्ष निवासी ग्राम गोरखा थाना चरखारी जनपद महोबा

(2) रामदीन लोधी पुत्र राधाचरण उम्र करीब 54 वर्ष निवासी ग्राम विजयपुर थाना कुलपहाड जिला महोबा

(3) मुन्नाबाबू राजपूत पुत्र श्री प्रकाशचन्द्र राजपूत उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम विजयपुर थाना कुलपहाड जिला महोबा

(4) धीरज राजपूत पुत्र रामसिंह राजपूत उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम गोरखा थाना चरखारी जनपद महोबा

(5) प्रमोद यादव पुत्र रामगोपाल उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम विजयपुर थाना कुलपहाड जिला महोबा

विवरण माल बरामदगी- 910 रु0 , मालफड़ व 52 अदद ताश पत्ते व जामा तलाशी 310 रुपये